15-03-2023 Re: Implementation of Ayushman Bharat Yojana- laid MATTERS UNDER RULE-377 Bisen, Dr. Dhal Singh Ayushmaan Bharat

Re: Implementation of Ayushman Bharat Yojana-laid

डॉ. ढालिसंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्या योजना के तहत निर्धन-गरीब-वंचित वर्ग के लोगों को 5 लाख रूपये तक का इलाज करने के लिए सारी चिकित्साक सुविधा उपलब्ध्य करा रही है एवं उसका भार सरकार उठा रहीं है किन्तुा NHA की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध करीब 7500 अस्प तालों ने संबद्धता के बाद से आज तक एक भी मरीज भर्ती नहीं किया है। जो अस्पताल इलाज करते हैं उन्हे भुगतान न मिलने के कारण योजना का पूरा लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। संबधित अस्प तालों की इस लापरवाही के कारण अनेक मरीज इलाज के लिए परेशान होते हैं तथा उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी सहन करना पड़ता है। जो अस्पताल इलाज करते हैं उन्हें भुगतान नहीं होता। भारत सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, किन्तु राज्य सरकारों द्वारा इन अस्पनतालों को भुगतान नहीं किया जाता । मेरा अनुरोध है कि ऐसे अस्पतताल जिन्हों ने आज तक एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया है उनकी संबद्धता निरस्त की जाए तथा जो नए अस्पनताल इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनको रिजस्टनर्ड किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित हो सके। राज्ये सरकारों को इन अस्प तालों के भुगतान करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध है।